भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2264

सोमवार, 09 दिसम्बर, 2024 / 18 अग्रहायण, 1946 (शक)

गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए कार्यक्रम

2264. श्री चिन्तामणि महाराजः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गिग और प्लेटफार्म कामगारों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ख): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में पहली बार गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों को परिभाषित किया गया है, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के उपबंध हैं। संहिता में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने के भी उपबंध हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्लेटफार्म समूहकों (एग्रीगेटर्स) को स्वयं को तथा उनके साथ नियोजित प्लेटफॉर्म कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए एक एडवायजरी जारी की गई है। इससे प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच बनाने में सुविधा होगी।

*****